

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

अप्रैल, 2022 के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:-

1. असाधारण पेंशन (ईओपी) पर एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर रिलीज किया गया और ट्विटर तथा फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर डाला गया।
2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पर जागरूकता फैलाने के लिए विभाग ने अपने विभाग के ट्विटर हैंडल पर एनपीएस से संबंधित 75 महत्वपूर्ण नियमों की एक श्रृंखला शुरू की।
3. दिनांक 05.04.2022 के का.जा. सं. 42/07/2022 पी&पीडब्ल्यू(डी) द्वारा पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत में 31% से 34% की वृद्धि के आदेश जारी किए गए।
4. सरदार पटेल भवन में दिनांक 12.04.2021 को हाइब्रीड मोड में राज्यमंत्री(पीपी) की अध्यक्षता में स्कोवा बैठक की गई। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के अधिकारीगण सरदार पटेल भवन में शामिल हुए जबकि गैर-अधिकारिक सदस्य अर्थात् पेंशनभोगी संघ देशभर में फैले अपने-अपने स्थानों से शामिल हुए।
5. केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों के सीजीएचएस स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर चर्चा करने हेतु सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अध्यक्षता में एएस&डीजी(सीजीएचएस) के साथ बैठक आयोजित की गई। निम्नलिखित मामलों पर चर्चा हुई:-
 - सीजीएचएस पैलबद्ध निजी अस्पतालों में पेंशनभोगियों की सीधी परामर्श की सुविधा
 - सीजीएचएस के अधीन निजी अस्पतालों को पैलबद्ध करना
 - सीजीएचएस द्वारा प्रतिपूर्ति दावों में विलंब

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एएस&डीजी (सीजीएचएस) से कहा कि पेंशनभोगियों की कठिनाइयों को बेहतर तरीके से समझने के लिए पेंशनभोगी संघों से अधिक से अधिक विचार-विमर्श को बढ़ाना चाहिए। यह निर्देश दिया गया कि पेंशनभोगियों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने में सीजीएचएस वेलनेस सेंटरों/सरकारी अस्पताल/सीजीएचएस पैलबद्ध निजी अस्पतालों के कार्यकलाप को समझने के लिए एक समिति गठित की जाए। समिति की गठन की गई और समिति ने पूरे भारतवर्ष में अलग-अलग स्थानों का दौरा किया है और इसकी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

6. सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की पीएफआरडीए के प्रतिनिधियों के साथ पीएफआरडीए के कामकाज, एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों और एनपीएस के अंतर्गत शिकायत निवारण तंत्र पर एक परिचयात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदस्य वित्त, पीएफआरडीए के मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक ने भाग लिया। बैठक के दौरान, पीएफआरडीए ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के कामकाज, उनकी शिकायत तंत्र और एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मुख्य शिकायतों पर प्रस्तुति दी। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एनपीएस के अंतर्गत अब तक मृत्यु संबंधी मामलों के निपटान पर कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी है। पीएफआरडीए ने 05.04.2022 को सरकारी अभिदाता की मृत्यु और एनपीएस से समय से पूर्व बाहर निकलने की स्थिति में मामलों के निपटान पर डेटा प्रस्तुत किया है।

7. सीपेनग्राम्स में पंजीकृत शिकायतों का समय पर और गुणात्मक निपटान सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 11.04.2022 को सचिव (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) की अध्यक्षता में 09 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों (अर्थात् रेल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, दूरसंचार विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, राजस्व विभाग, सीबीआईसी, सीबीडीटी, सीजीए कार्यालय) के साथ भारत वीसी द्वारा अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक आयोजित की।

8. मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के लिए 'भविष्य' पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पांच (5) प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

9. भविष्य, विभाग द्वारा विकसित एक वेब आधारित ऑनलाइन पेंशन संस्वीकृति और भुगतान ट्रेकिंग प्रणाली है। यह प्रणाली सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को विलंब की निगरानी करने और ट्रैक करने में मदद करती है। प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न पेंशन नियमों के उपबंधों के अनुसार अंतर्निहित स्वचालित गणना से भी लाभ होता है। दिनांक 29.04.2022 की स्थिति के अनुसार, 97 मंत्रालयों/विभागों/शीर्ष निकायों के मुख्य सचिवालय और 7831 डीडीओ के माध्यम से 814 संबद्ध कार्यालयों में भविष्य प्रचलित है। 'उमंग प्लेटफॉर्म' पर एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से विभिन्न हितधारकों द्वारा 'भविष्य' तक पहुंचा जा सकता है। दिनांक 29.04.2022 की स्थिति के अनुसार, 36973 सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन मामले प्रणाली के माध्यम से प्रक्रमण के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, इस ऐप द्वारा अब तक 157960 पेंशनभोगियों की बाबत पीपीओ तैयार किए गए और उन्हें जारी किया गया। 'भविष्य' प्रणाली के माध्यम से अप्रैल, 2022 मास में 2678 पीपीओ जारी किए गए थे। 'भविष्य' को ई-पीपीओ जनरेट करने के लिए पीएफएमएस (PFMS) पेंशन मॉड्यूल के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया गया है।

10. अनुभव: मार्च, 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से, 8336 आलेख प्रकाशित किए गए हैं और दिनांक 30.04.2022 तक 'अनुभव पोर्टल' के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा 44746 प्रकाशन की प्रक्रिया के अधीन हैं। अप्रैल, 2022 मास में, अनुभव के 392 आलेख प्रकाशित किए गए।

11. संकल्प: 'संकल्प' पहल के तहत, विभाग ने अब तक 47 पूर्व-सेवानिवृत्ति परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिससे 5972 कर्मचारियों को लाभ हुआ है।

12. माह के दौरान, 5502 शिकायतें दर्ज की गईं और 4751 का निपटान किया गया। 30 अप्रैल, 2022 को शेष 31606 है। विस्तृत स्थिति इस प्रकार है:-

	दिनांक 01/04/2022 को अग्रणीत	माह के दौरान प्राप्त शिकायतें	माह के दौरान निपटाई गई शिकायतें	माह के अंदर निपटाई गई शिकायतें	30/04/2022 को लंबित कुल शिकायतें
कुल	3160	5502	4751	2388	3911

13. जेम (GeM) के माध्यम से खरीद:- पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अप्रैल, 2022 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फर्निचर और स्टेशनरी (उत्पादों के लिए आदेश) आदि की आपूर्ति के लिए रुपये 41618/- की राशि के लिए 03 (तीन) आदेश और सेवाएं (पैकेज्ड पेय जल सेवा और छोटी अवधि के लिए वाहनों को किराए पर लेना) के लिए रुपये 138876/- की राशि के लिए 03 (तीन) आदेश जेम के माध्यम से दिए हैं।